

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 300 / 2003

आरसीएमएस नं. :- 2003 / 00031

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रामकुमार
2. चन्दुराम
3. कासीराम
4. सन्तलाल
5. देवतराम

पिसरान जगननाथ निवासी मेहरिया तहसील भादरा।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

द्वितीय आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 07.01.2003, प्र. सं. 666 / 2002

अन्वये रामकुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार



राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 9.12.2022

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिमसें कथन किया कि विवादित भूमि सैटलमेंट विभाग द्वारा ख. नं. 67 में 0.306 है० भूमि दर्ज की है जो वास्तव में 1.213 है० दर्ज होनी चाहिए। ख. नं. 185 में 0.165 है० भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है वास्तव में वादीगण के नाम 0.101 है० दर्ज होनी चाहिए थी। सम्वत 2014-16 में वादीगण के पिता के नाम 1.14 बिघा भूमि थी लेकिन राजस्व रिकाड जल जाने के कारण असल नकल पेश नहीं कर


Lexio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सके। खसरा नं. 173 की 0.165 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में नाकाबिल काश्त रास्ता दर्ज है जबकि यहां पर कोई रास्ता नहीं है। इस भूमि में वादीगण 0.101 है० भूमि काश्त करते हैं। अतः वाद भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद अपीलाधीन निर्णय के द्वारा डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील में रेस्पोजेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी जो कभी भी वादीगण के कब्जा काश्त में नहीं रही है। जिसे रेस्पोजेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोजेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नहीं किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोजेण्ट को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट ने अपील में ग्राम मेहरिया की जमाबंदी संवत 2057 से 60 प्रस्तुत हुई जिसमें प्रश्नगत खसरा नं. 185 की भूमि रास्ता की भूमि दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रास्ता की भूमि है। इस भूमि पर रेस्पोजेण्ट गण का कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई साक्ष्य अपील में पेश नहीं हुआ है। चूंकि अपील में रेस्पोजेण्ट उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए वह अपने तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है, उसके सुनवाई का एक अवसर दिया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोजेण्ट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट के कथनों का किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2003 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक ~~9.12.22~~ को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



करतारसिंह पूनिया
 9/12/22
 (करतारसिंह पूनिया)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़